



खबर संक्षेप

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर अमरकंटक में पुष्पांजलि अर्पित कर किया गया स्मरण



अमरकंटक। शहीद दिवस के अवसर पर शुक्रवार 30 जनवरी को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पवित्र नगरी अमरकंटक में श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाई गई। इस अवसर पर नर्मदा मंदिर के सामने, मां नर्मदा नदी के दक्षिण तट स्थित गांधी कुंड पर स्थापित गांधी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर बापू को विनम्र श्रद्धांजलि दी गई। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित जनों ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सत्य, अहिंसा एवं मानवता के सिद्धांतों पर चलने का संकल्प लिया। पुण्यतिथि के अवसर पर दो मिनट का मौन रखकर उन्हें भावभीनी आदरंजलि अर्पित की गई, तत्पश्चात गांधी जी के जयघोष एवं नारों का उद्घोष किया गया। उपस्थित नागरिकों ने अपने-अपने शब्दों में महात्मा गांधी के विचारों को स्मरण करते हुए उन्हें जीवन में आत्मसात करने की आवश्यकता पर बल दिया। इस अवसर पर श्रद्धांजलि अर्पित करने वालों में प्रमुख रूप से पत्रकार धनंजय तिवारी, पंडित राजेश पाठक, पवन दुबे, संतोष तिवारी, रमाकांत सेन, अभिलाष कोली सहित अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान पंडित राजेश पाठक द्वारा संस्कृत मंत्रोच्चारण एवं श्लोक पाठ के साथ दीप प्रचलन कर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का पुण्य स्मरण किया गया।



# पैरालीगल वालंटियर्स का प्रशिक्षण संपन्न

उमरिया। राष्ट्रीय एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार एवं प्रियदर्शन शर्मा, प्रधान जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उमरिया के ए.डी.आर. हॉल के कॉन्फ्रेंस हॉल में एक दिवसीय ऑरियन्टेशन पैरालीगल वालंटियर्स प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर अरुण प्रताप सिंह, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय द्वारा महिलाओं से संबंधी कानून धरलू हिंसा अधिनियम, हिन्दू विवाह अधिनियम, भरण-पोषण एवं वर्तमान युग में महिलाओं के द्वारा कानून का दुरुपयोग करने संबंधी चर्चा

की गई। मोहन डावर, सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उमरिया के द्वारा निःशुल्क विधिक सहायता एवं सलाह योजना, मध्यस्थता योजना, विभिन्न प्रकार की लोक अदालत, विधिक साक्षरता शिविर, म.प्र.अपराध पीडित प्रतिकार योजना, 2015, लीगल एड क्लिनिक योजना, आदि के बारे में बताया गया। अभय सिंह, सी.ई.ओ., जिला पंचायत द्वारा म.प्र. शासन द्वारा पंचायत के माध्यम से विभिन्न प्रकार की योजनाओं के संबंध में जानकारी प्रदान की गई। सुरेश चंद्र मित्राणी, चीफ, लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम उमरिया के द्वारा नवीन कानून संबंधी

जानकारी, आरोपी के अधिकार, एफ.आई.आर. एवं नालसा हेल्पलाईन नंबर 15100 के बारे में प्रशिक्षु को अवगत कराया गया। वीणा खलखो, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, उमरिया के द्वारा पी.पी.टी. तैयार कर भारतीय संविधान प्रस्तावना, मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य, महिला संबंधी आपराधिक विधिक के प्रावधान, विधिक साक्षरता शिविरों में पीओएल0व्ही0 की भूमिका एवं दायित्व, आवेदन लिखना, उनका निराकरण करना, वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण अधिनियम, दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961, आदि के बारे में पैरालीगल

वॉलंटियर्स को प्रोजेक्टर के माध्यम से समस्त को विस्तार से समझाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रधान जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उमरिया द्वारा मां सरस्वती की प्रतिमा में माल्यार्पण किया गया, तत्पश्चात पैरालीगल वॉलंटियर्स की समाज में भूमिका, कर्तव्य एवं कार्यप्रणाली के बारे में प्रशिक्षु को समझाया गया। कार्यक्रम द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड उमरिया, सुरेश चंद्र मित्राणी, चीफ, लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम उमरिया एवं समस्त प्रशिक्षु पैरालीगल वॉलंटियर्स उपस्थित रहे।

## किसानों का पंजीयन सहकारी विपणन संस्था द्वारा संचालित केंद्र में होगा

उमरिया। कलेक्टर धरणेन्द्र कुमार जैन ने बताया कि सिकमी/बटाईदार एवं वनपट्टाधारी किसानों के पंजीयन के लिए किसानों का पंजीयन सहकारी समिति एवं सहकारी विपणन संस्था द्वारा संचालित गेहूं पंजीयन केन्द्र पर किया जाएगा। पंजीयन केन्द्र पर किसान को आधार संबंधी दस्तावेज, आधार नंबर से पंजीकृत मोबाइल नंबर हो तथा सिकमी/बटाई अनुबंध (निर्धारित प्रारूप में परिशिष्ट-4 पर संलग्न) की प्रति साथ में लेकर आना होगा। किसान द्वारा प्रस्तुत सिकमी/बटाई अनुबंध की प्रति ई-उपार्जन पोर्टल पर होने की दृष्टि से पंजीयन सुरक्षित करने हेतु अनिवार्य होगा, उसके उपरांत ही पंजीयन की कार्यवाही पूर्ण हो सकेगी। उन्होंने बताया कि पंजीयन केन्द्र पर आपरटर द्वारा किसान के आधार में दर्ज नाम ईउपार्जन पोर्टल पर प्रविष्ट किया जाएगा। सिकमी/बटाईदार किसान द्वारा प्रस्तुत सिकमीनाम में दर्ज किसान विवरण के आधार पर जिला/तहसील/ग्राम का चयन करते हुए संबंधित खसरा नंबर का चयन किया जाएगा। वनपट्टाधारक किसान के पंजीयन में वनपट्टा क्रमांक, खसरा, रकबे एवं बोई गई फसल की प्रविष्टि की जाएगी। सिकमी/बटाईदार/पट्टाधारी किसान का आधार नंबर प्रविष्टि किया जाएगा। आधार नंबर प्रविष्टि के उपरांत किसान के आधार एंथेटिकेशन (बायोमैट्रिक)/पंजीकृत मोबाइल नंबर पर ओटीपी ओटीपी प्राप्त होगा, जिसके माध्यम से सत्यापन उपरांत आधार

डाटाबेस में दर्ज पूर्ण जानकारी यूआईडीएआई से ई-उपार्जन पोर्टल पर प्राप्त होगी। सिकमी/बटाईदार किसान द्वारा प्रस्तुत सिकमी अनुबंध में उल्लिखित मूल भू-स्वामी का समग्र एवं आधार नंबर प्रविष्टि ईउपार्जन पोर्टल पर किया जाएगा एवं मूल भू-स्वामी का ओटीपी बायोमैट्रिक से प्रमाणीकरण किया जाएगा। संयुक्त खाता होने पर किसी एक भू स्वामी का ओटीपी बायोमैट्रिक से प्रमाणीकरण किया जाएगा। ई-उपार्जन पोर्टल पर दर्ज किसान के नाम एवं आधार डाटाबेस में दर्ज किसान के नाम का मिलान ई-उपार्जन पोर्टल पर होने की दृष्टि से पंजीयन सुरक्षित करने हेतु सुरक्षित करे विकल्प को क्लिक करना होगा। वनाधिकार पट्टाधारी किसानों को वन पट्टा एवं सिकमी/बटाईदार किसानों को सिकमी/बटाई अनुबंध 2 फरवरी 2026 के पूर्व की अवधि का पंजीकृत होने पर ही मान्य किया जाएगा। सिकमी/बटाईदार किसानों की अनुबंध अवधि म.प्र.भू-स्वामी एवं बटाईदार के हितों के संरक्षण अधिनियम 2016 की कंण्डिका 4(3) के अनुसार अनुबंध की अवधि अधिकतम 05 वर्ष की होगी। किसान द्वारा बोई गई फसल, किस्म, रकबा तथा विक्रय योग्य मात्रा की जानकारी भी प्राप्त कर आवेदन में दर्ज की जाए। किसान द्वारा उत्पादित फसल का भण्डारण किन स्थानों पर किया गया है अथवा किया जाएगा, इसकी जानकारी भी आवेदन में दर्ज की जाए। मृत कृषक जिनकी भूमि का नामांतरण लंबित है, ट्रस्ट एवं धार्मिक संस्थानों की भूमि,

शारीरिक रूप से असक्षम एवं वृद्ध कृषक जिनका बायोमैट्रिक सत्यापन न होने के कारण आधार डाटाबेस में मोबाइल नंबर अपडेशन संभव नहीं है, ऐसे किसानों का पंजीयन डीएसओ लॉगिन से किया जाएगा, जिसकी प्रक्रिया के संबंध में 5 फरवरी 2025 को जारी निर्देश की प्रति संलग्न परिशिष्ट-7 अनुसार होगी। किसान पंजीयन के लिए भूमि, सिकमी/बटाईदार अनुबंध/कोटवार एवं वन पट्टाधारी के दस्तावेज एवं किसान के आधार एवं अन्य फोटो पहचान पत्रों का समुचित परीक्षण कर उनका रिकार्ड रखा जाना अनिवार्य होगा। भू-अभिलेख एवं आधार डाटा में किसान का नाम त्रुटीपूर्ण होने पर राजस्व अमले से अथवा आधार पंजीयन केन्द्र में नाम का संशोधन कराया जाए। आधार डाटाबेस में दर्ज मोबाइल पर ही ओटीपी प्रेषित होगा, अतएव आधार डाटाबेस में सही मोबाइल नंबर दर्ज किया जाये। किसान के अदयतन आधार लिंक बैंक खाते में ही भुगतान किया जाना है। किसान को इस हेतु बैंक खाते को आधार से लिंक कराने की कार्यवाही संबंधित बैंक में जाकर कराई जाने के लिये सूचित किया जाये। किसान पंजीयन में दर्ज भूमि के रकबे, बोई गई फसल एवं फसल की किस्म से संतुष्ट न होने पर पंजीयन के पूर्व किसान द्वारा भूमि, बोई गई फसल एवं फसल की किस्म में संशोधन हेतु गिरदावरी में दावा आपत्ति करना होगी। दावा-आपत्ति का निराकरण होने एवं ई-उपार्जन पोर्टल पर किसान की संशोधित जानकारी आने पर पंजीयन किया जा सकेगा।



## सेवानिवृत्त अधिकारियों, कर्मचारियों का शाल श्रीफल से किया गया सम्मान

उमरिया। शासन के निर्देशानुसार सेवानिवृत्त अधिकारियों, कर्मचारियों को सेवानिवृत्त होने के बाद पीपीओ प्रदान करते हुए कलेक्टर सभागार में शाल श्रीफल से कलेक्टर धरणेन्द्र कुमार जैन ने सम्मानित किया। कलेक्टर धरणेन्द्र कुमार जैन ने कहा कि शासकीय सेवा में आने के पश्चात सेवानिवृत्त होना शासकीय प्रक्रिया है। सेवा निवृत्ति के पश्चात सभी समाज से जुड़े, अपने घर के दायित्वों का निर्वहन करें। उन्होंने पीपीओ प्रदान करते हुए उनके उज्वल एवं स्वस्थ भविष्य की कामना की। इस दौरान सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने अपने अनुभव साझा किए। कार्यक्रम में सेवानिवृत्त हुए श्रीमती सुधा दुबे, संतोष कुमार शुक्ला, श्रीमती डी दुर्गा देवी, शिवचरण सिंह, प्रतिपाल सिंह, रमेश प्रसाद गुप्ता, मो. हनीफ खान, रामचरण भूमिया, द्वारिका सिंह, किशनदास बैगा, चंद्रशेखर सिंह, बाबूलाल सेन, सुरेश प्रसाद मिश्रा, आनंद माधव मिश्रा, दीनबंधू कर्मकार का शाल श्रीफल से सम्मान किया गया। जिला पेंशन अधिकारी अखिलेश पाठक ने अपने विचार व्यक्त करते हुए आधार प्रकट किया। इस अवसर पर सत्यवती प्रजापति एपीओ, विश्वजीत प्रसाद एपीओ, आशा भागडकर, प्रताप सिंह उपस्थित रहे।

## हॉइवे पर लूट कारित करने वाले 5 आरोपियों को सश्रम कारावास

उमरिया। मीडिया प्रभारी नीरज पाण्डेय द्वारा बताया गया कि फरियादी दुर्गेश यादव, सोनेलाल यादव के वाहन अटिंगा क्रमांक एमपी 054 सीए-5220 का ड्रायवर है, जो 1 फरवरी 2025 कि सुबह लगभग 10.30 बजे वाहन मालिक सोनेलाल ने फरियादी दुर्गेश को फोन किया और बोला कि एक बुकिंग है, गाड़ी लेकर कटनी जाना है। फरियादी को सवारी का मोबाइल नम्बर दिया था, तो फरियादी दुर्गेश यादव सिंगल टोला से गाड़ी लेकर समय करीब 11.15 बजे उक्त मोबाइल नम्बर पर फोन करके बोला कि वह भरौला आ गया है तब (आरोपी) सवारी ने कहा कि सिद्ध बाबा मंदिर के पास आओ तब वह सिद्ध बाबा मंदिर के पास पहुंचा जहां उसे दो सवारी खड़ी मिली थी, उसने दोनों को गाड़ी में बैठा लिया था। गाड़ी में बैठने के बाद एक लम्बा सा लडका सांवल रंग का उम्र करीब 20-25 वर्ष उसने पंचकस निकाल लिया और

फरियादी से बोला कि गाड़ी दूसरे लडके को चलाने दे नहीं तो जान से मार देगा, दूसरा लडका जो कि नाबालिग था, उसको फरियादी ने गाड़ी चलाने के लिये दे दी थी। दोनों फरियादी से गाड़ी लेकर और उसे साथ बिठाकर जोगिन के जंगल तरफ गाड़ी लेकर गये और उसे उतारकर हाथ मुक्के से मारपीट किये तथा जान से मारने का भय देकर उससे उक्त वाहन क्रमांक एमपी054 सीए 5220 कीमती करीब 10 लाख रुपये, उसका वीवो कम्पनी का मोबाइल, जिसकी कीमत लगभग 9,000 रुपये एवं फरियादी का लाल गुलाबी रंग का पर्स जिसमें 10,09,040 रुपये की लूट की गई। सूचना पर अभियुक्त शिवम के विरुद्ध पुलिस थाना कोतवाली उमरिया में धारा 309 (6), 127 (2) एवं 61 (2) बीएनएस के तहत दर्ज किया गया। प्रकरण विवेचना में लिया गया, घटनास्थल का नक्शा मौका बनाया गया, जप्ती कार्यवाही की गई,

फरियादी का मेडिकल परीक्षण कराया गया एवं सम्पूर्ण विवेचना उपरांत अभियुक्त शिवम उर्फ शिबू के विरुद्ध उक्त धाराओं के अधीन दंडनीय अपराध में अभियोग पत्र निराकरण हेतु न्यायालय में पेश किया गया। प्रकरण में विवेचना सिविल लॉईन चौकी प्रभारी बृजकिशोर गर्ग उप निरीक्षक उमरिया द्वारा की गयी। अभियोजन की ओर से प्रकरण में प्रभावी संचालन एवं सशक्त पैरवी एडीपीओ नीरज पाण्डेय द्वारा किया गया। प्रकरण में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दीपक कुमार अग्रवाल के न्यायालय उमरिया द्वारा दिनांक 29 जनवरी 2026 को बीएनएस की धारा 309 (6) में आरोपी शिवम उर्फ शिबू यादव पिता रामरतन यादव को 05 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया और बीएनएस 2023 की धारा 127 (2) में एक वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

## जवाहर नवोदय विद्यालय अमरकंटक में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर हुआ पुण्य स्मरण

हरिभूमि न्यूज अमरकंटक। पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय अमरकंटक में शुक्रवार 30 जनवरी को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर भावपूर्ण पुण्य स्मरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर विद्यालय परिवार द्वारा बापू को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कार्यक्रम में छात्र-छात्राओं एवं शिक्षकों की गरिमामयी उपस्थिति रही। प्रार्थना सभा के समापन के पश्चात विद्यालय के वरिष्ठ शिक्षक राजीव कुमार झा ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए उनके जीवन मूल्यों, सत्य, अहिंसा



आदर्शों को जीवन में आत्मसात करने के संकल्प के साथ किया गया। एवं सदाचेर के मार्ग पर चलने का संदेश दिया। उपस्थित सभी जनों ने बापू द्वारा बताए गए सद्मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। ठीक प्रातः 11 बजे घंटी बजते ही विद्यालय परिसर में जहाँ-तहाँ उपस्थित सभी छात्र-छात्राओं एवं शिक्षकों ने अपने-अपने स्थान पर खड़े होकर दो मिनट का मौन रखकर राष्ट्रपिता को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान सभी कक्षाओं में अनुशासन एवं गंभीरता का वातावरण बना रहा। कार्यक्रम का समापन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के आदर्शों को जीवन में आत्मसात करने के संकल्प के साथ किया गया।



## क्रिकेट टूर्नामेंट का रोमांचक समापन सुपर स्ट्राइकर किंग बनी विजेता

हरिभूमि न्यूज बरदा/जमुना। स्वर्गीय शैलेन्द्र सिंह (टुन्ना) की स्मृति में आयोजित क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला शुक्रवार को खेला गया, जिसमें सुपर स्ट्राइकर किंग ने शानदार प्रदर्शन करते हुए संदेश इलेवन को पराजित कर खिताब अपने नाम किया टूर्नामेंट की शुरुआत से लेकर फाइनल तक दर्शकों को लगातार रोमांचक मुकाबले देखने को मिले। फाइनल मैच 12-12 ओवरों का खेला गया। टॉस जीतकर संदेश इलेवन ने पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए सुपर स्ट्राइकर किंग की टीम ने निर्धारित 12 ओवरों में 7 विकेट खोकर 78 रन बनाए और संदेश इलेवन को जीत के लिए 79 रनों का लक्ष्य दिया। लक्ष्य का पीछा करने उतरी संदेश इलेवन की टीम जबरदस्त गेंदबाजी के दबाव में मात्र 60 रन पर ऑल आउट हो गई। इस प्रकार सुपर स्ट्राइकर किंग को विजेता घोषित किया गया। कम स्कोर वाले इस मुकाबले में दोनों टीमों के गेंदबाजों ने उल्लेख प्रदर्शन किया, जिससे अंत तक मैच में रोमांच बना रहा। विजेता एवं उपविजेता टीमों के खिलाड़ियों

को अतिथियों द्वारा पुरस्कृत किया गया। फाइनल मुकाबले के अवसर पर नगर पालिका परिषद पसान के अध्यक्ष राम अवध सिंह मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। उनके साथ डॉ. मनोज कुमार, धीरेन्द्र सिंह उर्फ मिंटू, लाल बहादुर जायसवाल, उमाशंकर सिंह, डी.के. सिंह, अजय यादव, संतोष चौरसिया, अजय ताराचंद यादव, सुनील सिंह, मोनू जायसवाल तथा मनोज सिंह सहित अन्य गणमान्यजन उपस्थित रहे। इस अवसर पर राम अवध सिंह ने कहा "स्वर्गीय शैलेन्द्र सिंह (टुन्ना) की स्मृति में आयोजित यह टूर्नामेंट न केवल खेल प्रतिभाओं को मंच देता है, बल्कि युवाओं में खेल भावना, अनुशासन और आपसी भाईचारे को भी मजबूत करता है। उन्होंने यह भी घोषणा की कि नगर पालिका परिषद द्वारा स्वर्गीय शैलेन्द्र सिंह (टुन्ना) के नाम पर एक भवन का निर्माण किया जाएगा, ताकि उनकी स्मृति को स्थायी रूप से संजोया जा सके। फाइनल मुकाबले के साथ ही क्रिकेट टूर्नामेंट का सफल एवं गरिमामय समापन हुआ, जिसे खेल प्रेमियों ने लंबे समय तक यादगार बताया।

## कोयला चोरी में 3 गिरफ्तार, लेकिन एरिया सेल्स मैनेजर पर मेहरबानी क्यों?



जॉच पर उठे गंभीर सवाल हरिभूमि न्यूज बरदा/जमुना। राजनांदगांव जगरन्नाथपुर ओपन कास्ट खदान से ट्रक-ट्राला के माध्यम से कोयला चोरी के सनसनीखेज मामले में पुलिस ने भले ही तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया हो, लेकिन इस पूरे प्रकरण में एरिया सेल्स मैनेजर भटगांव की संदिग्ध भूमिका सामने आने के बावजूद न तो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है और न ही किसी प्रकार की विभागीय या कानूनी कार्यवाही हुई है इससे जॉच की निष्पक्षता पर गंभीर प्रश्नचिह्न खड़े हो गए हैं। अखबार में प्रकाशित खबर एवं न्यूज वेबसाइट में उपलब्ध जानकारी के अनुसार, जगरन्नाथपुर खुली खदान से कोयला लोड ट्रक-

ट्रालों को सुरक्षा मानकों को ताक पर रखकर मुख्य द्वार से बाहर निकाला जा रहा था मामले के उजागर होने के बाद खदान प्रबंधन ने प्राथमिकी दर्ज कराई, जिसके आधार पर पुलिस ने कार्यवाही करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि कोयला चोरी का यह खेल लंबे समय से चल रहा था और इसमें खदान प्रबंधन, सुरक्षा कर्मियों तथा रोड सेल से जुड़े कुछ जिम्मेदार अधिकारियों की मिलीभगत की आशंका जताई जा रही है नियमों के अनुसार बिना वैध दस्तावेज, वजन पंजी और अधिकृत अनुमति के कोयले का परिवहन संभव नहीं है, ऐसे में सवाल उठता है कि यह सब एरिया सेल्स मैनेजर भटगांव की जानकारी के बिना



कैसे होता रहा। सूत्रों का कहना है कि रोड सेल और कोयला डिस्पैच से जुड़े सभी अहम नियंत्रण एरिया सेल्स मैनेजर के अधीन होते हैं इसके बावजूद एरिया सेल्स मैनेजर को जॉच के दायरे से बाहर रखा जाना संदेह की ओर गहरा करता है न तो पुलिस रिकॉर्ड में उनका नाम दर्ज है और न ही कंपनी प्रबंधन की ओर से उनके खिलाफ कोई ठोस कदम उठाया गया है। स्थानीय लोगों और जानकारों का मानना है कि यदि निष्पक्ष जॉच हो तो बड़े चेहरे बेनकाब हो सकते हैं केवल छोटे कर्मचारियों और ट्रक चालकों की गिरफ्तारी कर मामले को रफा-दफा करने की कोशिश की जा रही है, जबकि असली सूत्रधार अब भी सुरक्षित हैं। अब सवाल यह है कि क्या एरिया सेल्स मैनेजर को किसी का संरक्षण प्राप्त है? या फिर जॉच को जानबूझकर एक सीमित दायरे में रखा जा रहा है? जनता और जिम्मेदार नागरिकों ने मांग की है कि इस पूरे कोयला चोरी प्रकरण की उच्चस्तरीय और निष्पक्ष जॉच कराई जाए तथा एरिया सेल्स मैनेजर भटगांव सहित सभी जिम्मेदार अधिकारियों पर तत्काल एफआईआर दर्ज कर कड़ी कार्यवाही की जाए, ताकि सच्चाई सामने आ सके और भविष्य में इस तरह की घटनाओं पर रोक लग सके।



**खबर संक्षेप**

सत्ता के लालच में देश में घोला जा रहा नफरत का जहर-ऋषि तिवारी



कोतमा। कांग्रेस नेता ऋषि तिवारी ने केंद्र की वर्तमान भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए आरोप लगाया है कि सत्ता के लालच में देश में नफरत का जहर घोला जा रहा है। तिवारी ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा देश को बांटने की नाकाम कोशिशों को सुप्रीम कोर्ट ने रोककर लोकतंत्र की रक्षा की है। ऋषि तिवारी ने भाजपा की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा कि इन्हें केवल सत्ता से प्रेम है। उन्होंने कहा धार्मिक धुंकीकरण कभी हिंदू-मुस्लिम के नाम पर, तो कभी भगवान राम के नाम का सहारा लेकर राजनीति की जा रही है, जबकि धर्म को राजनीति से दूर रखना चाहिए। अब यह सरकार भाइयों के बीच जाति का जहर फैलाकर सत्ता हासिल करने की फिराक में है। अपनी विफलताओं का दोष गांधी परिवार, नेहरू जी और दिग्विजय सिंह जैसे नेताओं पर मढ़ना भाजपा की पुरानी नीति रही है। यूजीसी कानून का जिक्र करते हुए तिवारी ने कहा कि नियम वर्तमान सरकार लागू करती है, लेकिन आरोप वरिष्ठ कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह पर लगाए जाते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि समिति ने समानता के आधार पर जो सुझाव दिए थे, उन्हें दरकिनार कर सरकार हितलरशाही चला रही है, जो जनता का सीधा अपमान है। आगामी चुनावों की ओर इशारा करते हुए ऋषि तिवारी ने जागरूक जनता से अपील करते हुए कहा कि हम सभी जाति के भाई एक हैं। जो बहुरूपिया नेता देश और समाज को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें आगामी चुनाव में सबक सिखाना बेहद जरूरी है। तिवारी ने कहा कि देश में निचली राजनीति से लेकर ऊपर तक फैला यह 'बहुरूपियापन' चिंता का विषय है और यदि जनता अभी जागरूक नहीं हुई, तो ये 'टम' इसी तरह छलते रहेंगे।

ग्राम पयारी में पुलिस बल के चांदमारी अभ्यास हेतु फायरिंग रेंज घोषित



अनूपपुर। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट हर्षल पंचोली द्वारा आदेश जारी कर पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों के वार्षिक चांदमारी अभ्यास हेतु ग्राम पयारी (हनुमान मंदिर के पास) चौकी फुनगा थाना भालुमाड़ा में 31 जनवरी से 5 फरवरी तक के लिए फायरिंग रेंज घोषित किया गया है। उक्त अवधि में फायरिंग रेंज के 4 कि.मी. की परिधि में ग्राम के नागरिकों तथा अन्य स्थानों के नागरिकों एवं पशुओं का प्रवेश भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा-163 के तहत पूर्णतः निषेधित रहेगा। उपरोक्त आदेश का उल्लंघन किए जाने पर संबंधितों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा-223 के तहत दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।

# 7 दिनों बाद पुलिस ने किया खुलासा

## संतान न होने, दूसरी शादी करने के चक्कर में पति ने कर दी पत्नी की हत्या

### पत्नी को मार कर जलाया और गाढ़ दिया जमीन पर

हरिभूमि न्यूज अनूपपुर। अनूपपुर जिले में पुलिस ने एक अंधी हत्या के मामले का सनसनीखेज खुलासा करते हुए आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। कंकाल में तब्दील लाश, जले कपड़े और बिखरे अवशेषों से शुरू हुई यह गुथी आखिरकार पुलिस की सधी हुई जांच से सुलझ गई। नवविवाहिता की हत्या कर शव जलाने और दफनाने वाले आरोपी ने पूछताछ में जुमं कबूल कर लिया। 26 जनवरी को थाना राजेन्द्रगाम क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बरबसपुर जोगी नाला के पास मानव कंकाल मिलने से सनसनी फैल गई थी। मौके पर जले कपड़े, चूड़ियां और लंबे बाल मिलने से हत्या की आशंका गहराई। पुलिस ने मर्ग कायम कर एफएसएल शहडोल की टीम के साथ साक्ष्य जुटाए। शॉर्ट पीएम रिपोर्ट में सात दिन के भीतर हत्या की पुष्टि हुई। पहचान के बाद मुक्तिका राजेश नंदिनी उर्फ सुरसा के रूप में हुई। विवेचना के दौरान संदेह की सुई पति रामकुमार चंद्रवंशी पर गई, जिसे हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। सख्ती से पूछने पर आरोपी टूट गया और पत्नी की हत्या की बात स्वीकार कर ली। पुलिस ने



आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश करने की कार्यवाही की।

### कंकाल मिलने से फैली दहशत

बरबसपुर जोगी नाला के पास सिर, हाथ-पैर के कंकाल और अधजले कपड़े मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस ने मौके को सील कर जांच शुरू की। एफएसएल टीम की जांच और शॉर्ट पीएम रिपोर्ट में यह स्पष्ट हुआ कि यह कोई हादसा नहीं बल्कि सुनिश्चित हत्या है, जो सात दिन के भीतर की गई थी।

### पहचान के बाद पति पर गहराया शक

जबड़े के दांतों से मुक्ति का पहचान हुई। परिजनों ने पति रामकुमार पर संदेह जताया, जिसके बाद पुलिस ने उसे हिरासत में लिया आरोपी ने स्वीकार किया कि संतान न होने के कारण वह दूसरी शादी करना चाहता था, पत्नी के विरोध पर उसने गला दबाकर हत्या की और सबूत मिटाने के लिए शव जला दिया। इस अंधी हत्या का खुलासा कर अनूपपुर पुलिस ने एक बार फिर साबित कर दिया कि अपराध चाहे कितना भी छिपा हो, कानून से बच नहीं सकता। मामले में पुलिस टीम की सक्रियता और समन्वित जांच सराहनीय रही।

### 15 लाख की चोरी का पुलिस अधीक्षक नहीं किया खुलासा

## जबलपुर व बालाघाट से आते थे चोरी करने आरोपी



### ज्वेलर्स संचालक भी गिरफ्तार, सोना चांदी औजार की बनी जप्टी

अनूपपुर। 26 अक्टूबर 2025 को प्रार्थीया सरला हडवार ने रिपोर्ट लेख कराई कि कोई अज्ञात व्यक्ति सूने मकान में घर का ताला तोड़कर सोने चांदी के जेवरत और कुछ नगदी ले गये है। प्रार्थीया की रिपोर्ट पर थाना राजेन्द्रगाम में अपराध क्र. 213/2025 धारा 331 (4) 305 (1) बी.एन.एस. का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। 07 जनवरी 2026 को प्रार्थी जवाहर वर्मा ने रिपोर्ट लेख कराया कि कोई अज्ञात व्यक्ति सूने मकान में घर का ताला तोड़कर सोने चांदी के जेवरत और कुछ नगदी ले गये है। प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना राजेन्द्रगाम में अपराध क्र. 06/2026 धारा 331(4) 305 (1) बी.एन.एस.का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया जाकर अज्ञात आरोपियों की लगातार पता तलाश की जा रही थी। लेकिन कोई पता नहीं चल पा रहा था। अज्ञात आरोपी चोरी की वारदात को अंजाम देकर पुलिस को लगातार चुनौती दे रहे थे। पुलिस ने अज्ञात चोरी की चुनौती को स्वीकार करते हुए मुखबिर लगाकर व सायबर सेल की मदद से अज्ञात चोरी का लगातार पता तलाश कर रही थी। पता तलाश के दौरान चोरी द्वारा छोटे वाहन का उपयोग करने का पता चलने पर छोटे वाहनों में निगरानी रखे जाने लगा। तभी इसी दौरान छोटे वाहन की लीला तरफ होने की जानकारी पता चलने पर उक्त वाहन की पता तलाश हेतु थाना से टीम रवाना किया गया जो

## घरेलू गैस सिलेंडर का धड़ल्ले से हो रहा व्यावसायिक उपयोग

### अवैध रूप से गैस रिफिलिंग का भी चल रहा काम

अनूपपुर। इन्ट्रो- जिले में अवैध रिफिलिंग का कारोबार जोरों पर है। प्रशासन, पुलिस से लेकर खाद्य आपूर्ति विभाग की नाक के नीचे घरेलू गैस सिलेंडरों से छोटे गैस सिलेंडरों में गैस भरने का काम जारी है। इतना ही नहीं घरेलू गैस सिलेंडर का धड़ल्ले से व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा है जो कभी भी किसी बड़े खतरे का कारण बन सकता है। इससे राजस्व की भी भारी क्षति हो रही है, लेकिन जिम्मेदारों द्वारा इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है।



शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों में अधिकतर होटल, मिठाई व चाय की दुकानों में घरेलू गैस सिलेंडर का सर्रास इस्तेमाल हो रहा है। इसके बावजूद लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही। दूसरी ओर नियम यह है कि इस तरह के प्रतिष्ठानों पर घरेलू गैस की जगह कमर्शियल सिलेंडरों का प्रयोग किया जा सकता है। कई सालों से घरेलू गैस सिलेंडर का व्यावसायिक कामों में धड़ल्ले से उपयोग हो रहा है। इन सिलेंडरों पर सब्सिडी जारी होने के बावजूद इनके व्यावसायिक उपयोग पर प्रतिबंध नहीं लग पाया है। कई होटल संचालकों ने व्यावसायिक गैस के कनेक्शन ले रखे हैं। वहां उनकी खपत हर महीने 4 से 5 सिलेंडर की है, मगर वे व्यावसायिक सिलेंडर की बजाए घरेलू सिलेंडर का उपयोग कर रहे हैं। हालांकि कुछ होटल और चाय की दुकान चलाने वालों ने व्यावसायिक सिलेंडर के कनेक्शन लिए हुए हैं। मगर वे भी बड़े सिलेंडरों की बजाए घरेलू गैस सिलेंडरों का प्रयोग कर रहे हैं। यहां दुकानदार भी उपयोग के वक्त सिलेंडरों को छुपाकर रखते हैं, ताकि कोई देख न सके। ऐसे में सरकार को राजस्व का नुकसान उठाना पड़ रहा है।

### मुनाफे के फेर में चल रहा अवैध कारोबार

अवैध रिफिलिंग का धंधा गैस चूल्हे व स्पेयर पार्ट बेचने वाली हर दुकान पर होता है। ऐसे दुकानदारों को गैस एजेंसी से 14.2 किलोग्राम का एक गैस सिलेंडर प्राप्त होता है। जबकि हैंडीगैस में प्रति किलोग्राम गैस भरने के 250-300 रुपये वसूले जा रहे हैं। इससे रिफिलिंग वालों को 1500-1750 रुपये तक मुनाफा होता है। बताया जाता है कि यह सब जागरूकता के अभाव में हो रहा है। इसको रोकने के लिए सरकार 5 किग्रा. वजन वाली सिलेंडर की

व्यवस्था की जो आसानी से सभी गैस एजेंसी में उपलब्ध है। बावजूद लोग कनेक्शन लेने की बजाय बाजार से हैंडीगैस खरीद लेते हैं।

### नहीं किया गया जागरूक

गैस भरवाने वाले ग्राहक को यह पता नहीं होता कि गैस कितनी भरी गई है। जबकि गैस एजेंसी में 5 किग्रा. का गैस सिलेंडर निर्धारित रुपये की धरोहर राशि देकर प्राप्त हो सकता है। इसके पीछे जागरूक करने के लिए प्रशासन या खाद्य आपूर्ति विभाग ने कोई अभियान नहीं चलाया। एजेंसियों ने अपने स्तर पर प्रयास किया लेकिन यह कारगर नहीं हुआ।

### आसानी से सिलेंडर का मिलना है कारण

खासकर छोटे दुकानदारों को अवैध रिफिलिंग के जरिए आसानी से मन मुताबिक गैस मिल जाते हैं। इसी का नतीजा है कि दुकानों पर घरेलू गैस सिलेंडर देखे जा सकते हैं- शहर में ऐसे कई होटल हैं।

## पटवारी अभियान चलाकर 15 दिवस में फार्मर रजिस्ट्री का कार्य शत-प्रतिशत करें पूर्ण-कलेक्टर

लक्षित प्रगति न होने एवं बैठक में अनुपस्थित 7 पटवारियों पर निलंबन की कार्यवाही के लिए निर्देश

तहसील सभागार पुष्पराजगढ़ में फार्मर रजिस्ट्री के संबंध में पटवारियों की ली बैठक

अनूपपुर। कलेक्टर हर्षल पंचोली ने तहसील कार्यालय पुष्पराजगढ़ के सभागार में पटवारियों की बैठक लेकर फार्मर रजिस्ट्री कार्यों की समीक्षा की। बैठक में कलेक्टर ने कहा कि जिले में फार्मर रजिस्ट्री का कार्य अत्यंत धीमी गति से प्रगति कर रहा है, जिसके कारण अनूपपुर जिला प्रदेश के निम्न प्रदर्शन वाले जिलों में शामिल हो गया है। उन्होंने सभी पटवारियों को निर्देशित किया कि फार्मर रजिस्ट्री कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए अभियान चलाकर आगामी 15 दिवस के भीतर शत-प्रतिशत पूर्ण किया जाए। कलेक्टर पंचोली ने कहा कि फार्मर रजिस्ट्री का कार्य समयबद्धता, गंभीरता एवं जिम्मेदारी के साथ शीघ्र पूर्ण करना जाना सुनिश्चित करें। उन्होंने बताया कि फार्मर रजिस्ट्री के सफल एवं पूर्ण क्रियान्वयन से किसानों को शासन



की योजनाओं का सीधा लाभ मिलेगा तथा जिले की समग्र प्रगति में भी वृद्धि होगी। राजस्व प्रकरणों एवं फार्मर रजिस्ट्री में संतोषजनक प्रगति न करने तथा बैठक में बिना कारण अनुपस्थित रहने वाले 7 पटवारियों पर निलंबन की कार्यवाही के निर्देश भी दिए। बैठक में कलेक्टर ने पटवारियों से फार्मर रजिस्ट्री की प्रगति एवं समस्याओं की विस्तृत जानकारी ली। पटवारियों द्वारा बताया गया कि किसानों की ई-केवाईसी लंबित होना, आधार से मोबाइल नंबर लिंक न होना तथा अन्य तकनीकी समस्याओं के कारण कार्य प्रभावित हो रहा है। इस पर कलेक्टर ने ई-केवाईसी एवं आधार लिंकिंग शिविर आयोजित करने के निर्देश दिए तथा शिविरों की जानकारी पूर्व में मुनादी के माध्यम से किसानों तक पहुंचाने को कहा। उन्होंने फार्मर

रजिस्ट्री कार्य में स्थानीय युवाओं एवं मोबिलाइजर का भी सहयोग लेने हेतु निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि किसानों को अधिक से अधिक फार्मर रजिस्ट्री कराने के लिए प्रेरित किया जाए तथा उन्हें बताया जाए कि शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने हेतु फार्मर रजिस्ट्री आवश्यक है। फार्मर आईडी बनने के पश्चात पात्र किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना सहित अन्य योजनाओं का लाभ सरलता से प्राप्त कर सकेंगे। उन्होंने यह भी निर्देशित किया कि कार्य के दौरान आने वाली समस्याओं से वरिष्ठ अधिकारियों को तत्काल अवगत कराया जाए। बैठक में कलेक्टर ने सभी पटवारियों को निर्देश दिए कि वे ईएचएमआरएस पोर्टल पर एक सप्ताह के भीतर ऑनबोर्ड हो एवं अवकाश संबंधी आवेदन इसी माध्यम से प्रस्तुत करें। साथ ही फौती नामांतरण सहित अन्य महत्वपूर्ण राजस्व विषयों पर भी चर्चा कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। बैठक में अनुविभागीय अधिकारी पुष्पराजगढ़ वसिम अहमद भट्ट, तहसीलदार पुष्पराजगढ़ संजय जाट, अधीक्षक भू-अभिलेख प्रदीप मोगरे, नायब तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक एवं पटवारी उपस्थित रहे।

**जिला न्यायाधीश**  
**राजेन्द्रगाम जिला अनूपपुर (म.प्र.)**  
Presiding Officer: **पवन कुमार शर्यवाट**  
(आदेश 5 नियम 20 व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 के अन्तर्गत प्रकाशित) [MJC GW/03/2025]  
Pooja Sharma [.....] अतिरिक्त

Vs  
1. Aam Jan Anya Jis Kisi Ko Aapatki Ho  
2. MP Govt By Collector.....अनाईदकरण

**पैरी दिनांक : 09/03/2026**

**पैरी- (1) आम जन अन्व किस किसी को आपति हो**

यह कि प्रार्थी पूजा गर्म ने आपके विरुद्ध पेश प्रकरण के लिए वाद संस्थित किया है, आपको इस न्यायालय में सूचना के प्रकाशन के 30 दिवस के भीतर वाद का उत्तर देने के लिये उपसंज्ञा / हार्जिर होने के लिये सम्मन किया जाता है। आप न्यायालय में सर्रास या किसी ऐसे व्यक्ति (अतिरिक्त) द्वारा उपसंज्ञा हो सकता है, जिसे सम्यक अनुशासित दिव्य हो और जो इतना ही सम्बंधित सभी सारवात कथनों का उत्तर दे सके। आपको यह निर्देश भी दिया जाता है कि उस दिन अपने प्रतिस्था का लिखित कथन प्रस्तुत करें और उस दिन ऐसे सब दस्तावेज जो आपके कथने या शक्ति में हैं पेश करें जिन पर आपका प्रतिस्था या मुजर्राई का दावा या प्रतिवादा आधारित हो, और यदि आप अन्य किसी दस्तावेज पर दावे यह आपके कथने या शक्ति में ही अपनी प्रतिस्था या मुजर्रा के दावे या प्रतिवादे के समर्थन में साक्ष्य के रूप में निर्भर करते हैं तो ऐसी सभी दस्तावेजों की लिखित कथन के साथ उपलब्ध की जाने वाली सूची में परिचित करें। आपको सूचित किया जाता है कि यदि आप उपर बताई गई अवधि में इन न्यायालय में उपस्थित नहीं होने तो वाद की एक प्रतियुक्तता कर उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति में किया जायेगा। साथ ही यह भी सूचित किया जाता है कि यदि आप निराकरण नकस्य के माध्यम से करने के अशुक्ल है तो निराकरण अधिकारी को अवगत करावे। यह आज तारीख 22 January 2026 को भरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दिया गया है।

कृपया ध्यान दें- 1. यदि किसी कारणवश उक्त तिथि को न्यायालय अवकाश पर रहेगा तो आगामी कार्यदिन पर यह प्रकृतियुक्तता सुनवाई में लिया जायेगा।

(पवन कुमार शर्यवाट)  
जिला न्यायाधीश  
राजेन्द्रगाम जिला अनूपपुर (म.प्र.)